**व्याख्यान XI**

**नीति निदेशक सिद्धांत**

नमस्कार!

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के सहयोग से नालसर विधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है।

पिछले व्याख्यान में हमने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, आज हम नीति निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles) के बारे में बात करने वाले हैं। यह भारतीय संविधान का भाग-IV है। आज हम भारतीय संविधान के भाग- IV के बारे में बात करेंगे जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं।

आइए पहले हम मानवाधिकारों के छोटे से सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। मानवाधिकार, जैसा कि आप जानते हैं, बुनियादी (Fundamental) और प्राकृतिक (Natural) अधिकार हैं, जो हर इंसान को अपने जन्म के साथ एक इंसान के रूप में पाने का अधिकार है। शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया दो समूहों में विभाजित हो गई। और इसलिए, मानवाधिकार भी पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अधिकारों में विभाजित हो गये। सिविल और राजनीतिक अधिकारों (Civil and Political Rights) को पहली पीढ़ी के अधिकार कहा गया। सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों (Socio-Economic and Cultural Rights) को दूसरी पीढ़ी के अधिकार कहा जाता था। यह एक कृत्रिम वर्गीकरण (Artificial Classification) था और इसने मानवाधिकार आंदोलन को नुकसान पहुंचाया था।

वास्तव में हुआ यह कि उदार पश्चिमी लोकतंत्रों (Western Liberal Democracies) ने सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर जोर दिया और पूर्वी समाजवादी देशों (Socialist East) ने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को अधिक महत्व दिया। इसी के अनुसार उदार पश्चिमी देशों ने स्वतंत्रता की Liberty और भोजन के अधिकार के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। Right to Food को कोई महत्‍व नहीं दिया और समाजवादी पूर्वी देशों ने भोजन का अधिकार दिया। लेकिन अपने नागरिक स्वतंत्रता से वंचित रखा। बाद में पर्यावरण के अधिकार को तीसरी पीढ़ी का अधिकार कहा गया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, 1994 में वियना में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक (Universal), अविभाज्य (Indivisible) और अपरिहार्य (Inalienable) हैं। इसलिए, अधिकार चाहे मौलिक अधिकारों का हिस्सा हों या नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा हों, वे समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

भारत में, तेज बहादुर सप्रू समिति ने 1945 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सुझाव दिया गया कि हमारे पास कुछ न्यायाधीन अधिकार (Justifiable Rights) है और कुछ गैर-न्यायाधीन अधिकार (Non- Justifiable Rights) होने चाहिए। इस भेद के बाद में मौलिक अधिकार अध्याय में सिविल और राजनीतिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को शामिल किया गया।

तो, नीति निदेशक सिद्धांत क्या हैं?

यदि भारत में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिये गये थे, तो नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिये गये थे। अनुच्छेद 37 कहता है कि भारतीय संविधान के अध्याय IV के नीति निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। यह सप्रू समिति का सुझाव था। इसलिए मौलिक अधिकार जैसे नीति निदेशक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किये गए, लेकिन नीति निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक (Fundamental in Governance of Country) रहेंगे । इसके अलावा कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

* डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नयी विशेषता बताया था।

**आइए हम नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न अनुच्छेदों और उनमें क्या प्रावधान हैं, इस पर एक नजर डालते हैं।**

अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य का जो अर्थ अनुच्छेद 12 में दिया गया है, वही इस अध्याय के लिए भी अर्थात् नीति निदेशक तत्वों के लिए होगा। अनुच्छेद 37 इस भाग अर्थात भाग- IV में दिये गये सिद्धांतों के अनुप्रयोगों की बात करता है और यहाँ यह कहता है कि नीति निदेशक सिद्धांत को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी वे देश के शासन में मौलिक रूप से हैं।

* अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों के कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में बताता है;
* अनुच्छेद 39क समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताता है;
* अनुच्छेद 40- ग्राम पंचायतों का गठन-भारतीय संविधान पर गांधीवाद का एक प्रभाव दिखता है;
* अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के बारे में बात करता है;
* अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व अवकाश के प्रावधान का उल्लेख करता है;
* अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी बात करता है;
* अनुच्छेद 43-क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान करता है;
* अनुच्छेद 43-ख सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है;
* अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है;
* अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है;
* अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है;
* अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य की बात करता है;
* अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन की व्यवस्था की बात करता है;
* अनुच्छेद 48-क पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा की बात करता है;
* अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है;
* अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है;
* अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है;

इस व्याख्यान में, हम प्रत्येक नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम नीति निदेशक सिद्धांतों के आवश्यक संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नीति निदेशक तत्वों की हम पहले ही विस्तार से बात कर चुके हैं जैसे आरक्षण पर हमारे व्याख्यान में अनुच्छेद 46 और धर्म की स्वतंत्रता पर हमारे व्याख्यान में अनुच्छेद 44 पर बात कर चुके हैं। नीति निदेशक सिद्धांत मूल रूप से समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं।

**तो नीति निदेशक सिद्धांतों का क्या महत्व है?**

अनुच्छेद 37 से 51 में वे शामिल किये गए हैं जिन्हें राज्य के दायित्व कहा जा सकता है। इसलिए नीति निदेशक तत्व हमें बता रहे हैं कि राज्य के कर्तव्य क्या हैं? डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्वयं नीति निदेशक सिद्धांतों के विचार की व्याख्या की। उन्होंने कहा और मैं उद्धृत करता हूं: " किसी ऐसी चीज को स्थिर और कठोर रूप देने का कोई फायदा नहीं है जो कठोर नहीं है, जो मौलिक रूप से बदलती रहती है तथा उसे परिस्थितियों और समय को ध्यान में रखते हुए बदलते रहना चाहिए। इसलिए, यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि नीति निदेशक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है। मेरे निर्णय में, नीति निदेशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे हमारे आदर्श आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं।

अम्बेडकर जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि हम केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं चाहते, हम आर्थिक लोकतंत्र को भी प्राप्त करना चाहते हैं।

संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक और आर्थिक न्याय का वादा किया गया है, नीति निदेशक सिद्धांत इन आदर्शों को प्राप्त करने के साधन हैं। इसलिए, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं जिसका अम्बेडकर ने संदर्भ दिया और नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करना है। डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा कि "क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे आर्थिक आदर्श या हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस बारे में कोई निर्देश दिये बिना संविधान में प्रावधान किये गये विभिन्न तंत्रों के माध्यम से केवल संसदीय सरकार की स्थापना की जाए। हमने जानबूझकर अपने संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल किया है"।

अनुच्छेद 38 (1) हमें बताता है कि हम भारत में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था हासिल करना चाहते हैं, यह कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा और ऐसे प्रभावी ढंग से रक्षा करेगा जो ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का लक्ष्‍य होगा। राज्य के आदेश, कर्तव्य और दायित्व का उल्लेख यहां किया गया है। हम क्या हासिल करना चाहते हैं- लोगों का कल्याण। हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से सुरक्षित और संरक्षित करके कल्याण कैसे कर सकते हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का हिस्‍सा बने। फिर अनुच्छेद 38 (2) कहता है कि राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। बहुत स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 38 (2) कह रहा है कि आय में असमानताओं को कम करें, अमीरों को और अधिक अमीर नहीं होने देना चाहिए तथा गरीब को और अधिक गरीब नहीं होने देना चाहिए। हम आय में असमानताओं को कम करेंगे तथा स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करेंगे।

फिर अनुच्छेद **39** हमें कुछ बुनियादी सिद्धांत बताता है जिनका हमारे राज्य को पालन करना चाहिए।

ये संविधान द्वारा प्रदत्त नीतिगत दिशानिर्देश हैं। राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को *इस तरह* दिशा देगा कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार मिले। *इस तरह* कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सर्वहित में सर्वोत्तम हो; *इस तरह* कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप नुकसान पहुंचाकर धन और उत्पादन के साधन एक जगह इकट्ठे न हो जाएं; पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो; *इस तरह* कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाए और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाए; *इस तरह* के बच्चों को स्वस्थ तरीके से, स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाए तथा *इस तरह के* बचपन और युवाओं को शोषण से और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए।

यह राज्य की आर्थिक नीतियों का चार्टर है। धन एक स्थान पर इकट्ठा न हो। राष्ट्र के भौतिक स्रोतों को इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि सभी का कल्याण हो सके। बिहार बनाम कामेश्वर सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि सुधार का उद्देश्य कुछ एक हाथों में धन और भूमि को इकट्ठा होने से बचाना था।

इसलिए जमीदारियों को खत्म किया गया। एक व्यक्ति, एक परिवार के पास कितनी जमीन हो सकती है, यह तय करना है। केशवानंद भारती फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 39 इस बात का संवैधानिक आदेश है कि एक कल्याणकारी राज्य और एक समतावादी समाज का विकास और व्यक्ति की गरिमा कैसे प्राप्त करें। संजीव कुक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में निजी व्यक्तियों के हाथों में संसाधन शामिल है, न कि केवल वे जो राज्य में निहित हैं।

काम और मजदूरी के बारे में क्या प्रावधान हैं?

अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा और मातृत्व अवकाश के लिए प्रावधान करेगा। श्रम कानूनों की संख्या अधिनियमित की गई- कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी बीमा अधिनियम। 1961 में मातृत्व राहत अधिनियम पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने 2017 में मातृत्व राहत अधिनियम में संशोधन किया जो अब पहले दो गर्भधारण के लिए 26 सप्ताह की मातृत्व राहत देता है।

अनुच्छेद 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। मजदूरी तीन प्रकार की होती है। न्यूनतम मजदूरी, यह वह न्यूनतम मजदूरी है जो श्रमिकों के केवल निर्वाह के लिए पर्याप्त है जिससे सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। दूसरा प्रकार सामान्य मजदूरी है जो बच्चों के भोजन, आश्रय, कपड़े और शिक्षा के लिए पर्याप्त है। संवैधानिक आदर्श जीवनयापन मजदूरी है। हमारे कामगारों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर, अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के पूर्ण आनंद के लिए जीवनयापन वेतन पर्याप्त होगा। 2020 में, केंद्र सरकार ने इन सभी 44 श्रम कानूनों को समेकित किया और 4 श्रम संहिताओं को अधिनियमित किया।

**नीति निदेशक सिद्धांतों में अब तक क्या संशोधन किये गये हैं?**

आइए प्रमुख संशोधनों की बात करते हैं। 42वां संशोधन अनुच्छेद 39क जो कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे तथा विशेष रूप से, मुफ्त कानूनी सहायता देकर, उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करें कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए। यदि कानून व्यवस्था केवल अमीरों के लिए हो, गरीबों को छोड़ दिया जाए, यदि न्याय बहुत महंगा हो और यह गरीबों की पहुंच से बाहर हो तो यह न्याय नहीं है। अनुच्छेद 39क कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली के संचालन से न्याय को बढ़ावा मिले। समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिले और विशेष रूप से राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता मिले। इसलिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित किया गया था।

अनुच्छेद 43क ने उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया।

अनुच्छेद 48क पर्यावरण की सुरक्षा तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया गया था।

2002 में 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 45 को बदल दिया जो मूल रूप से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता था। नया प्रावधान इसे केवल 6 वर्ष की आयु तक का प्रावधान करता है। लेकिन अनुच्छेद 21क को 86वें संशोधन द्वारा डाला गया, जिसने 6 से 14 साल के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अब एक मौलिक अधिकार बना दिया है। और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया।

**आज हमने क्या सीखा?**

नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायालयों में नहीं जाया जा सकता- यदि राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं कर रहा है तो आप अदालत में नहीं जा सकते। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिये गये थे। नीति निदेशक सिद्धांत वास्‍तव में राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं।

अगले व्याख्यान में हम मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले व्याख्यान में।

नमस्कार।